मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-17

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2004 (श्रावण 7, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. स्वागत

छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री धर्मजीत सिंह की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती की सदन में उपस्थित होने की मांग करते हुए तथा मांफी मांगने की बात अपने-अपने आसन से कहते रहे)

(व्यवधान होने के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका)

व्यवधान होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही 10.35 बजे 11.30 बजे तक के लिए स्थगित होकर 11.34 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती को सदन में उपस्थित होने एवं श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर उनसे माफी मांगने की बात कहते हुए गर्भगृह में आ गये तथा नारेबाजी करते रहे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की जिला भिण्ड के ग्राम बड़ेतर के देवेन्द्र सिंह के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट किये जाने,

(2) श्री रघुनाथ सिंह मालवीय, सदस्य की आष्टा नगर के महाविद्यालय का उन्नयन न किये जाने,

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में मांस की दुकानों पर अव्यवस्था होने,

(4) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की जिला शाजापुर की तहसील कालापीपल के सेवा निवृत्त पटवारियों के पेंशन प्रकरण न बनाये जाने,

(5) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी के ग्राम घुघरा में आदिवासी बालक शाला का भवन न होने,

(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा के बिरला नगर कर्मचारी राज्य बीमा सेवा में घटिया दवाईयों का प्रदाय होने,

(7) कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा), सदस्य की छतरपुर जिले में वर्षा न होने से सूखे की स्थिति निर्मित होने,

(8) श्री हरिशंकर खटीक, सदस्य की टीकमगढ़ के खरगापुर क्षेत्र में बिजली गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु होने,

(9) श्री आरिफ अकील, सदस्य की म.प्र. शासन के निर्णय के बाबजूद आदिम जाति कल्याण विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सेवा में पुनः न लेने, तथा

(10) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर के ग्राम सहसराम में आग से जलने के कारण एक महिला की मृत्यु होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक पटल पर रखा।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती को सदन में उपस्थित होने एवं श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर माफी मांगने की बात कहते हुए गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

व्यवधान होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही 11.40 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित होकर 12.07 बजे पुनः प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजय विश्नोई, पं. रमेश दुबे, श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य ने मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के सदन में उपस्थिति न होने एवं उनके द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी के प्रति की गई कथित टिप्पणी पर माफी न मांगी जाने के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया)

(श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की अनुपस्थिति के कारण उनकी ध्यानाकर्षण की सूचना प्रस्तुत नहीं हो सकी)

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य की सागर जिले के -

(क) ग्राम मसुरहाई से तोड़ा तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम जैसीनगर में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,

(ग) नगरपालिका राहतगढ़ में महाविद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,

(घ) ग्राम बिलहरा में पेयजल टंकी बनाये जाने, तथा

(ङ) ग्राम जामुनढ़ाना के पास बीना नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के -

(क) ग्राम बेलहरा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,

(ख) नगर पंचायत कोटर (अवेर) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम कलबलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(घ) ग्राम बिहरा नं. 1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा

(ङ) नगर पंचायत कोटर में पुलिस चौकी का भवन बनाये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य की पन्ना जिले के -

(क) पवई नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(ख) सिमरिया-कोनी वाया सुनवानी-जैतपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(ग) ग्राम हरदुआ खम्हरिया में उप तहसील खोले जाने,

(घ) ग्राम सुनवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(ङ) ब्यारमा नदी सिंचाई योजना की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा

(च) ग्राम पाण्डवन में लघु जलविद्युत परियोजना तैयार कराये जाने,

(4) श्रीमती संध्या राय, सदस्य की मुरैना जिले के ग्राम रानपुर से पुथियाना तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य की बैतूल जिले में ताप्ती से बारालिंग तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य की भिण्ड जिले के -

(क) ग्राम चितौरा से पाली तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(ख) गोहद तिराहे से धनसा ग्राम तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ग) ग्राम देहगांव से गुहीसर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम पैरा के पास नांदघाट स्थित प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने, तथा

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य की ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम करहिया में कृषि उपज मंडी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम नीकोड़ी स्थित तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गई।

6. वक्तव्य

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने पंचायत राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. जांच समिति के गठन की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि शहडोल जिले के अमलाई पेपर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण पर दिनांक 13 जुलाई, 2004 को सदन में चर्चा के दौरान उक्त प्रकरण की जांच विधानसभा की समिति द्वारा कराने की सहमति विभागीय मंत्री द्वारा दी गई थी। अतः मैं निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित कर इस प्रकरण के संबंध में जांच समिति के गठन की घोषणा करता हूं :-

(1) श्री लाल सिंह आर्य
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी)
(4) श्री इन्द्रजीत कुमार
(5) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

श्री उमाशंकर गुप्ता इस समिति के सभापति होंगे तथा यह समिति अपना प्रतिवेदन यथाशीघ्र सभा में प्रस्तुत करेगी।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2004 (क्रमांक 13 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 21 नवम्बर 1997 को यथा पारित मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) में राष्ट्रपति द्वारा उनके दिनांक 19 सितम्बर 2003 के संदेश में निम्नलिखित संशोधन की सिफारिश की गई है, उस पर पुनर्विचार किया जाय।

"खण्ड 9 में धारा 31-क की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक का लोप किया जाय।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) डॉ. सुनीलम
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) श्री नारायण त्रिपाठी
(6) कुंवर विजय बहादुर सिंह बुन्देला

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि यथा संशोधित रूप में मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
यथा संशोधित विधेयक पुनः पारित हुआ।

(1.09 बजे से 2.34 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

9. सामान्य प्रयोजन समिति के गठन की घोषणा

सभापति महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 234 के उपनियम (1) के अधीन वर्ष 2004-2005 की अवधि में सेवा करने के लिए सामान्य प्रयोजन समिति का गठन करते हुए निम्नांकितों को उक्त समिति में सदस्य नाम-निर्दिष्ट किया जाता है :-

(1) सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री
(2) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
(3) श्री हजारीलाल रघुवंशी, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
(4) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य और उद्योग मंत्री
(5) श्री गोपाल भार्गव, कृषि एवं सहकारिता मंत्री
(6) श्री सत्यदेव कटारे
(7) श्री हिम्मत कोठारी
(8) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(9) श्री अहिरवार रामदयाल
(10) श्री अमर सिंह कोठार
(11) श्री रसाल सिंह
(12) श्री रामपाल सिंह
(13) श्री ज्ञान सिंह

(14) श्रीमती सुधा जैन
(15) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(16) श्री तुकोजीराव पवार
(17) श्री बंशीलाल जाटव
(18) श्री मधुकर हर्णे
(19) सुश्री कुसुम सिंह
(20) श्री हरवंश सिंह
(21) श्री इन्द्रजीत कुमार

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा, इस समिति के सभापति होंगे.

10. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-
(1) श्री लाल सिंह आर्य
(2) श्री शंकरलाल तिवारी

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्रीमती सुधा जैन

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) श्री नारायण त्रिपाठी

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री दुर्गालाल विजय
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्रीमती सुधा जैन

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री हरनाम सिंह राठौर, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्रीमती रेखा रत्नाकर

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(3) श्री बृजमोहन धूत

(4) श्री नारायण प्रसाद कबीर पंथी

श्री हरनाम सिंह राठौर, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री हरनाम सिंह राठौर, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन
(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(3) श्री उमाशंकर गुप्ता

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2004 (क्रमांक 13 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) सुश्री उषा ठाकुर
(2) श्री भूपेन्द्र सिंह आर्य
(3) श्री शिवप्रसाद राठौर
(4) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(5) श्री हरिशंकर खटीक
(6) डॉ. नारायण परमार

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 से 67 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2004 (क्रमांक 13 सन् 2004) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

4.55 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2004 (श्रावण 8, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.